(121)

वि

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2018

निगरानी – 6238/2018/टीकमगढ़/भू०रा०

रामप्रसाद पुत्र श्री छोटेलाल, ब्राम्हण, निवासी– पांडेर तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

--आवेदक

विरूद्ध

राजेन्द्र सिंह पुत्र प्रताप सिंह ठाकुर, निवासी– पांडे तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

--अनावेदक

विनोद भार्गव (S.)
2-11-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 14-11-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 2-11-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 762/पुनरीक्षण/बी-121/2006-07 में पारित आदेश पारित दिनांक 05/09/2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन अपील ।

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
02-11-2018

माननीय महोदय,

आवेदक की पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

1. यहकि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि, अनावेदक का प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग-6238/2018/टीकमगढ/भू0रा0

रामप्रसाद विरूद्ध राजेन्द्रसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री आर0डी0 शर्मा अभिभाषक उपस्थित। उन्हें कायमी के बिन्दु पर सुना गया। 2. प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 762/पुनरीक्षण/बी-121/2006-07 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 05-09-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय में दिनांक ०2-11-2018 को प्रस्तुत की गई थी। आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में हुये नवीन संशोधन दिनांक 25-09-2018 के पश्चात दायर की गई है। अतः उक्त संशोधन के पश्चात आयुक्त के आदेश के विरूद्ध निगरानी की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने हेतु वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर.के. जैन) 11/3/19 सदस्य	